न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 55/2021 बउनवानी गजेन्द्र सिंह फौजदार बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर पुत्र श्री रामसिंह जाट, निवासी सैनिक नगर कॉलेज रोड़ गंगापुर सिटी

GCMS No-2021/138

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.7.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 19.4.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया. जो अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.2(90)सूकाअ/2021/836 दिनांक 30.4.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर वजीरपुर को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. श्री रामसिंह जाट क0सहा0 कार्यालय उपजिला कलेक्टर वजीरपुर द्वारा माह फरवरी,2021 मे पी.एल. हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मेडिकल अवकाश हेतु प्रस्तुत दस्तावेज पर अवकाश स्वीकृत नही करने का क्या कारण है एवं फरवरी,2021 का वेतन अब तक नही देने का क्या कारण है। किस आदेश से वेतन रोका गया है उसकी प्रमाणित छायाप्रति चाहिए। वेतन रोकने वाले अधिकारी व कर्मचारी का नाम व पद श्री जाट द्वारा अवकाश स्वीकृति हेतु प्रस्तुत दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति।
2. श्री रामसिंह जाट क0सहा0 कार्यालय उपजिला कलेक्टर वजीरपुर को पिछले 7 वर्षो मे कोई नोटिस/चार्जशीट मिली हो तो उसकी प्रमाणित प्रति चाहिए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/सूचना का अधिकार/2021/979 दिनांक 20.7.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि उक्त पत्र के माध्यम से अपीलान्ट को सूचित किया जा चुका है कि चाही गयी सूचना कार्मिक की व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में आती है जिसे कार्मिक की लिखित सहमति के बिना किसी अन्य को दिया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 19.4.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना कार्मिक की व्यक्तिगत सूचना होने के कारण संबंधित कार्मिक की सहमति के बिना नही दी जाने के संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 979 दिनांक 20.7.2021 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। किन्तु उक्त सूचना अपीलान्ट को दिये जाने के संबंध मे संबंधित कार्मिक की सहमति प्राप्त की गयी हो प्रस्तुत जवाब से सिद्व नही हो रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को अधिनियम की तय समय सीमा 30 दिवस के स्थान पर लगभग 75 दिवस के उपरान्त वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी ,सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के प्रति गम्भीर नही है। जो उक्त अधिनियम एवं राजकार्य के प्रति उदासीनता का प्रतीक [illegible] लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अब संबंधित कार्मिक से सहमति [illegible] जावे [illegible]दि संबंधित कार्मिक उक्त सूचना अपीलान्ट को दिये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान कर [illegible] सूचना अपीलान्ट को 15 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा[illegible] अधिनियम के तहत प्राप्त [illegible]ले प्रार्थना पत्रों का अधिनियम की तय समय सीमा मे प्राथमिकता [illegible] निस्तारण किया जावे। [illegible] निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:42:27 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर